न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 20/2021 तारीख रजू 28.06.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. हरक चंद जैन पुत्र श्री श्रीपाल जैन (एफबीओ व मालिक)–फर्म–हरकचन्द मनीष कुमार, लाल बाजार, भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर निवासी पाण्डया पाडा, लाल बाजार, भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii), 27(2)(d) व 31(2) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 10.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 16.10.2020 को लगभग 01.30 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म– हरकचन्द मनीष कुमार, लाल बाजार, भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र हरक चंद जैन पुत्र श्री श्रीपाल जैन बताया व स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने हरक चंद जैन को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। हरकचन्द जैन अपनी दुकान पर घी, तेल, वनस्पति, मसाले, नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने हरकचन्द जैन से दुकान का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने दुकान का नया खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुराना खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं के फोटो पहचान पत्र की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति पेश की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयीं **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** की 14 बोटलो का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक हरकचन्द जैन से उक्त **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** की बोटलो में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के विक्रय परिसर में एक रैक में रखी हुयी **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** की बोटलों में से 4 बोटल शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बावत खरीदी जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 240/– रूपये अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** की 4 बोटलों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय आवेदक के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर चार लेबलो को प्रत्येक बोटल पर अलग–अलग चिपकाया। प्रत्येक बोटल को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोटल पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर H-1866 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक बोटल पर चिपकाकर प्रत्येक बोटल को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो बोटलों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द बोटलों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर विक्रेता व मालिक हरक चन्द जैन ने उक्त नमूने की खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल के बारे में पूछा तो बिल नहीं होने तथा बाद में कार्यालय में पेश करने का अवगत कराया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबन्द डिब्बा एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री कैलाश ड्राईवर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 19.10.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1790 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1408/एक्ट/2020/1481 दिनांक 28.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** का नमूना अवमानक व मिथ्याछाप (**Sub-Standard & Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i)) of FSSA 2006)** प्रकृति का पाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने **अवमानक स्तर व मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक का विक्रय** करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। फर्म मालिक हरकचन्द जैन द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है तथा खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्य कारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **अवमानक स्तर व मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक का विक्रय** करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। फर्म मालिक हरकचन्द जैन द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है तथा खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्य कारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं अवमानक स्तर का माना गया है। प्रार्थी छोटा–मोटा दुकानदार है जो अन्य बडी दुकानों से थोडा–थोडा सामान लाकर बेचता है। प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। बहस के अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1408/एक्ट/2020/1481 दिनांक 28.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनतम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 तथा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को **सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु कच्ची घाणी सरसो तेल (श्री बंशी ब्राण्ड) 500 मिलीलीटर पैक** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51, 52 तथा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर